न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/50/2019	05–07–2019	12–02–2020

01– औमप्रकाश पुत्र श्री लालाराम जाति महाजन निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0। —अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार किशनगढ़–बास, जिला अलवर —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार किशनगढ़–बास दिनांक 03.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 17/2019

उपस्थितः–

01–श्री निर्मल कुमार जैन —वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़–बास के आदेश दिनांक 03.07.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम किशनगढ़–बास की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.11 है0 में से 0.06 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम किशनगढ़–बास की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.11 है0 में से 0.06 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 20.06.2019 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 03.07.2019 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 05.07.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा तहसीलदार किशनगढ़–बास द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ़–बास का आदेश दिनांक 03.07.2019 निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12–02–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

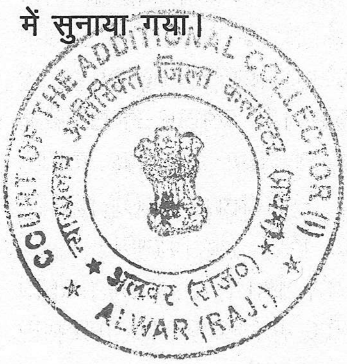

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)